

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, टाण्डा अम्बेडकरनगर

मूलवाद संख्या-560/2017

शिव स्वरूप द्विवेदी आदि बनाम श्रीमती सीमा देवी आदि

दिनांक-07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र कागज सं०-15क1 के निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 15क1-

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 15क1 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विन्देश्वरी कलवार व श्रीमती छोटका पड़ाइन उपरोक्त ने भू भवन सं० 2360 पर बने मकान को क्रमशः 15 मई 1948 व 1 जून 1948 को जरिये वसीयतनामा पुरुषोत्तम दास धवन व आवेदक को दे दिया। विन्देश्वरी कलवार व छोटका पड़ाइन के देहान्त के बाद पुरुषोत्तम दास धवन व आवेदक वसीयतनामे के आधार पर मालिकाना काबिज व दखील हुए और आज भी मकान उपरोक्त में आवेदक व उसका परिवार मालिकाना काबिज व दखील रहकर निवास करते हैं। वादिनी सं० 2 बैनामे की आड़ में भू भवन सं० 2360 जो आवेदक को जरिए वसीयत प्राप्त हुआ है पर अपनी मिल्कियत जताकर फर्जी आधार पर बिना आवेदक को पक्षकार बनाए प्रस्तुत वाद दायर कर दिया। चूंकि विवादित सम्पत्ति वसीयतनामा के आधार पर आवेदक की मिल्कियत है इसलिए आवेदक भी प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। तदनुसार उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने तथा वादपत्र में संशोधन किए जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा कागज सं० 20ग2 द्वारा विस्तृत आपत्ति करते हुए मुख्य कथन किया है कि आबादी भू-खण्ड सं०-2360 स्थित मौहल्ला ह्यातगंज परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर की मूल मालिकिन संवारी देवी पत्नी दशरथ पाण्डेय रही है। प्रार्थी/उत्तरदातागण/वादीगण उक्त संवारी देवी के इसी मकान में लगभग 14 वर्षों तक बतौर किरायेदार रहे हैं और बतौर किरायेदार रहते हुए संवारी देवी ने भूखण्ड सं०-2360 मौहल्ला ह्यातगंज परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर पर बने अपने मकान को देखने की इच्छा जाहिर किया जिस पर वादीगण से सौदा तय हो जानें के पश्चात उक्त संवारी देवी ने तय शुदा रकम प्राप्त करके अपने मकान को जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैनामा दिनांक 23-02-2004 को वादी सं०-2 उषा द्विवेदी पत्नी शिव द्विवेदी के हक में बैनामा करके कब्जा व दखल मालिकाना वादी सं०-2 को देकर स्वयं चली गयी, बाद बैनामा से वादीगण बतौर मालिक व काबिज आबाद चले आ रहे हैं। कृष्ण कुमार धवन जबरन संवारी देवी का मकान लेना चाहते हैं और सफल न होने की दशा में यही कृष्ण कुमार ने अपनी दबंग पुत्री श्रीमती सीमा पत्नी राकेश मेहरोत्रा के स्थान पर सीमा पत्नी कृष्ण कुमार लिखाकर फर्जी तौर पर उक्त सीमा देवी से विवादित सम्पत्ति का किरायेदार कहते हुए कूटरचित तरीके से एक मुकदमा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का संवारी देवी व उषा द्विवेदी/वादी सं०-2 के विरुद्ध मूलवाद सं०-45/2004 सीमा बनाम संवारी देवी आदि न्यायालय श्रीमान सिविल जज जू०डि० टाण्डा अम्बेडकर नगर के समक्ष दिनांक 25.03.2004 संस्थित किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 10-02-2017 को खारिज किया जा चुका है। यदि कृष्ण कुमार विवादित सम्पत्ति भूखण्ड सं० 2360 के स्वामी जरिये वसीयत रहे हैं तो अपनी पुत्री सीमा द्वारा इसी भूखण्ड संख्या पर बने मकान का किरायेदार कहते हुए मूलवाद सं० 45/04 क्यों दायर कराये अथवा मूलवाद सं० 45/04 में फरीक क्यों नहीं बनें इसका कोई युक्ति युक्त कारण कृष्ण कुमार ने अपने प्रार्थनापत्र में नहीं दिया है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 15क1 निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थी का कथन है कि विन्देश्वरी कलवार व श्रीमती छोटका पड़ाइन उपरोक्त ने भू भवन सं० 2360 पर बने मकान को क्रमशः 15 मई 1948 व 1 जून 1948 को जरिये वसीयतनामा पुरुषोत्तम दास धवन व आवेदक को दे दिया। विन्देश्वरी कलवार व छोटका पड़ाइन के देहान्त के बाद पुरुषोत्तम दास धवन व आवेदक वसीयतनामे के आधार पर मालिकाना काबिज व दखील हुए और आज भी मकान उपरोक्त में आवेदक व उसका परिवार मालिकाना काबिज व दखील रहकर निवास करते हैं। जिसके विरुद्ध वादी द्वारा घोर आपत्ति दाखिल की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के

समर्थन में मूलप्रति वसीयतनामा दिनांकित 15.05.1948 कागज सं0-24ग1 व 26ग1 प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची 48ग1 से कागज सं0-49ग1/1 ता 49ग1/4 नकल वादपत्र मूलवाद सं0-45/2004 सीमा बनाम संवारी, कागज सं0-50ग1/1 ता 50ग1/7 नकल निर्णय दिनांक 10.02.2017 मूलवाद सं0-45/2004 सीमा बनाम संवारी, कागज सं0-51ग1/1 ता 51ग1/2 नकल आदेश दिनांक 24.08.2022 सं0प्र0 वाद सं0-34/2017 सीमा बनाम संवारी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा कागज सं0-24ग1 व 26ग1 तथा हिन्दी रूपान्तर कागज सं0-25ग1 व 27ग1 के अवलोकन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का हित निहित प्रतीत होता है। जहां तक वादी के कथनानुसार यह तथ्य कि प्रार्थी/वादी जरिये वसीयतनामा प्रश्नगत भूमि का मालिक है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण इस स्तर पर सम्भव नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व का प्रश्न उभयपक्ष के साक्ष्य के आधार पर ही निस्तारित किया जा सकता है। इस स्तर पर प्रार्थी के कथनानुसार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में हित निहित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 15क1 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 15क1 स्वीकार किया जाता है। वादी पत्रावली में संशोधन अन्तर सप्ताह सुनिश्चित करे। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर 10 दिन करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15.01.2025 पेश हो।

दिनांक-07.01.2025

सिविल जज(जू0डि0) टाण्डा
अम्बेडकरनगर